

भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

एफई.सीओ.एफआईडी/14268/11.01.008/2014-15 FE.CO.FID/14268/11.01.008/2014-15 2015 9 मार्च 2015 March 09,

सभी अभिरक्षक बैंक

महोदय/महोदया,

पोर्टफोलियो निवेश योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनी में विदेशी निवेश सीमा/उच्चतम सीमा में 49% तक वृद्धि - FIIs/RFPIs - M/s Time Technoplast Ltd

कृपया विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत जारी 3 मई 2000 की फेमा. अधिसूचना सं.20/2000-आरबी (समय-समय पर यथा संशोधित) देखें, जिसके अंतर्गत पोर्टफोलियो निवेश योजना (PIS) के तहत FIIs/RFPIs द्वारा भारतीय कंपनियों में निवेश की समग्र उच्चतम सीमा बढ़ाने से संबंधित निदेश जारी किए गए है।

2. हम स्चित करते हैं कि M/s Time Technoplast Ltd ने बोर्ड के निदेशकों के स्तर पर प्रस्ताव पारित किया है और शेयरहोल्डरों द्वारा एक विशेष संकल्प पारित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित द्वारा उनके ईक्विटी शेयरों तथा परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद पर सीमा में वृद्धि करने हेतु सहमित दर्शायी है:

FIIs/RFPIs, पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत कंपनी की प्रदत्त पूँजी के 49% तक प्राथमिक बाज़ार और स्टाक एक्स्चेंज के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। यह खरीद

All Custodian Banks

Dear Sir/Madam,

Increase in Foreign investment limit/ceiling in an Indian Company under PIS - FIIs/RFPIs - up to - 49% - M/s Time Technoplast Ltd

Please refer to FEMA Notification No.20/2000-RB dated May 3, 2000 (as amended from time to time) issued under FEMA 1999, regarding raising of aggregate ceiling for investments by FIIs/RFPIs in Indian companies under Portfolio Investment Scheme (PIS).

- 2. We advise that **M/s Time Technoplast Ltd** has passed resolutions at the Board of Directors' level and a special resolution by the shareholders, agreeing for enhancing the limit for the purchase of its equity shares and convertible debentures by:
- <u>FIIs/RFPIs</u>, through primary market and stock exchanges up to <u>49%</u> of the paid up capital of the company under Portfolio Investment Scheme. This would be subject to Regulation 5(2) of FEMA

विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतिसंह मार्ग, पो.बॉ.सं. 1055, मुंबई 400 001 भारत फोन : कें का. – (91-22) 2260 1000, 2266 1602 अमर भवन – (91-22) 2260 3000, 2266 0500 ई-मेल :cgmincfed@rbi.org.in फैक्स : कें का. – (91-22) 2266 5330, अमर भवन – (91-22) 2269 4935 फेमा 1999 के अंतर्गत 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000आरबी (समय-समय पर यथासंशोधित) के विनियम 5(2) द्वारा जारी अनुमति के अधीन होगी।

- 3. यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन दिया जाता है कि प्रत्यक्ष विदेश निवेश नीति तथा डाउनस्ट्रीम निवेश सहित फेमा विनियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व भारतीय कंपनी M/s Time Technoplast Ltd. पर बना रहेगा।
- 4. कृपया पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत FIIs/RFPIs की ओर से निवेशों से संबंधित कार्य सौंपी गयी अपनी नामित शाखाओं को इस संबंध में अवगत कराएं।
- 5. कृपया पावती भेजे।

भवदीय,

(वर्तुल अग्रवाल) प्रबंधक Notification No.20/2000 RB dated May 03, 2000 (as amended from time to time) issued under FEMA, 1999.

- 3. This approval is given subject to the condition that the onus of compliance with FDI policy and FEMA regulations including downstream investment would continue to remain on the Indian company, **M/s Time Technoplast Ltd.**
- 4. Please bring this to the notice of your designated branches, which are entrusted with the work relating to investments on behalf of <u>FIIs/RFPIs</u> under the Portfolio Investment Scheme.
- 5. Please acknowledge the receipt.

Yours faithfully

(Vartul Agrawal) Manager